62
23-06-2026

न्यायालय : जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय

व्यवहार न्यायालय, मुंगेर

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 452 / 2026

18.06.2026

आवेदकगण 1. **नीरज यादव उर्फ नीरज कुमार 2. सन्नी कुमार** की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया। आवेदकगण को **जमालपुर थाना कांड संख्या 58 / 2026** अन्तर्गत **धारा 126 (2), 115 (2), 109, 74, 61 (2), 303 (2), 352, 351 (2), 3 (5) बी0एन0एस0** में गिरफ्तारी की आशंका के कारण प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विपुल कांत विप्लव एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना।

सूचक दिनांक 12.03.2026 को समय 21:45 बजे पी0एच0सी0 जमालपुर ईस्टकॉलनी में पुलिस पदाधिकारी के समक्ष अपना बयान देते है कि सूचक का डी0ए0बी0 स्कूल, जमालपुर गेट के सामने मोबाईल का दुकान है, जो मोबाईल मार्केट के नाम से है और सूचक अपने दुकान मे ही था। घटना के दिन समय करीब 07:00 बजे अपराहन में नीरज यादव ने अपने मोबाईल से सूचक के मोबाईल पर फोन किया और सूचक से बोला कि तुम्हारा भाई अभिषेक कुमार मेरी बेटी सिमरन कुमारी का फोटो क्यो वाट्सप, फेसबुक पर भेजता है, बोले थे न कि नहीं भेजना है, इसी बात को लेकर नीरज यादव सूचक को फोन पर गंदा गाली–गलौज एवं धमकी देने लगा। उसी क्रम में समय लगभग 07:45 में नीरज यादव के कहने पर गोलू यादव, सन्नी कुमार, गौरव कुमार हाथ में ईटा लिये एवं 10–12 अज्ञात भी साथ आए और सभी मिलकर जान मारने के नियत से मारपीट करने लगा। गोलु ने अपने हाथ में लिये लोहे के रड़ से सूचक के सर पर पारा, गौरव कुमार ने ईटा से सूचक के सर पर मारा, जिससे सूचक के सर से खून बहने लगा। सन्नी कुमार ने हाथ में लिए लकड़ी का डंडा से सूचक को मारने लगा और उपरोक्त सभी अभियुक्त बोलने लगे कि आज तुम्को जान से मार देंगे। बगल में ही सूचक के पिता का किराना दुकान है, सूचक को बचाने के लिए सूचक के पिता, ललन कुमार साह, एवं मॉ उर्मिला देवी आया तो सभी उपरोक्त अभियुक्त इनलोगो को मारकर अधमरा कर दिया। गौरव कुमार लगातार ईटा से सूचक को मारते रहा, जिससे लहूलुहान हो गया। सन्नी कुमार ने मेरी मॉ का ब्लाउज फाड दिया तथा गोलु कुमार ने जांध में छड़ धोप दिया जिससे सूचक की मॉ भी जख्मी हो गई। गैरव कुमार ने सूचक के गले से से 12 ग्राम का सोने का चेन ले लिया और उपरोक्त सभी अभियुक्तों ने सूचक के पॉकेट से 15–20 हजार रूपया निकाल लिए और गाली गलौज एवं धमकी देते हुए वहॉ से भाग गए।

विप्लव 18.06.2026

विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी के द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण की ओर से इसके पहले किसी भी न्यायालय में जमानत के लिए कोई याचिका दायर नहीं की गई है। आवेदक संख्या 01 के विरूद्ध एक आपराधिक इतिहास धरहरा थाना कांड संख्या 585 / 10 तथा आवेदक

लगातार

18.06.2026

संख्या 02 के विरूद्ध धरहरा थाना कांड संख्या 261/2023 है। आवेदकगण निर्दोष है और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदकगण पर बी0एन0एस0 की धारा 109, 74 एवं 303 (2) को छोड़कर सभी धराएं जमानतीय है। आवेदकगण के खिलाफ विशिष्ट आरोप नहीं है हालांकि ब्लाउज फाड़ने का आरोप सन्नी के विरूद्ध पूर्णतः गलत तथा फंसाने के लिए है। आवेदक सन्नी के खिलाफ आरोप स्पष्ट रूप से झूठे और मनगढंत है। आवेदक नीरज कुमार के खिलाफ संपूर्ण प्राथमिकी में कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। सूचक और उसकी माँ पूरी तरह स्वस्थ है और प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के अनुसार उन्हे कोई चोट नहीं आई है। हालांकि प्राथमिकी की पूरी कहानी झूठी और मनगढंत है और यह केवल आवेदक नीरज कुमार की बेटी की वायरल तस्वीर के उपरोक्त अपराध से खुद को बचाने के लिए गढ़ी गई है, जिसके चलते सूचक ने यह झूठा मामला दर्ज कराया है। आवेदक संख्या 01 सरकारी कर्मचारी है और वह आरपीएफ0 में कार्यरत है तथा उसका चरित्र वेदाग है, आवेदक संख्या 02 भी व्यापारी है। पुलिस आवेदकगण को गिरफ्तार करने के लिए परेशान कर रही है। आवेदकगण संपन्न व्यक्ति है और उनके भागने की कोई संभावना नहीं है। आवेदकगण किसी भी उचित राशि का जमानत बांड देने के लिए तैयार है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि आवेदकगण को रिहा करने की कृपा की जाए।

18.06.2026

उभयपक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि प्रस्तुत केस में दो अभियुक्तो का अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक अभियुक्त संख्या 02 सन्नी कुमार के संबंध में प्राथमिकी के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अभियुक्त के द्वारा अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकरहाथ में लिए लकड़ी के मोटे डंडे से मारपीट कर सूचक तथा सूचक के परिवार पर जानलेवा हमला किया गया, जिसका समर्थन कांड दैनिकी के पारा 109, 110 तथा 111 से स्पष्ट है, जिसमें जख्मी उर्मिला देवी के बांये जांध पर जख्म और दाहिने हाथ पर जख्म, जख्मी ललन साह के सर पर Lacerated wound 3" X ½" bony deep तथा Lacerated wound in left side of parietal region on head 2.5" X ½" bony deep तथा सूचक नीतिश कुमार साह के उपर Lacerated wound in left side of parietal region of head 4" X ½" bony deep और Lacerated wound on head 3" X ½" bony deep बताया गया है और X-ray तथा C.T. scan जांच कराने के बारे में कहा गया, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक अभियुक्त संख्या 02 सन्नी कुमार द्वारा अन्य अभियुक्तो के साथ मिलकर लाठी, ईटा एवं लोहे का रड़ से सूचक तथा उनके परिवारवालो पर जानलेवा हमला किया गया, जिससे सर पर गंभीर चोट कारित हुई और कांड दैनिकी के पारा 01, 04, 19, 42, 43, 44 में गवाहों के बयान से घटना की सत्यता का पूर्ण समर्थन होता है तथा कांड दैनिकी के पारा 26 में आवेदक अभियुक्त सन्नी कुमार का एक अपराधिक इतिहास भी दर्ज है। ऐसी स्थिति में आवेदक अभियुक्त सन्नी कुमार पर विशिष्ट आरोप

लगातार

18.06.2026

तथा घटना में सह–अभियुक्तों के साथ शामिल होकर जान लेवा हमला करने के आधार पर न्यायालय आवेदक **अभियुक्त संख्या 02 सन्नी कुमार** को अग्रिम जमानत आवेदन का लाभ देना न्यायोचित नहीं समझती है। अतः आवेदक अभियुक्त संख्या 02 सन्नी कुमार का **अग्रिम जमानत आवेदन खारिज** किया जाता है।

दूसरी ओर **आवेदक अभियुक्त संख्या 01 नीरज यादव उर्फ नीरज कुमार** के संबंध में प्राथमिकी एवं कांड दैनिकी के पारा 42 में सूचक के बयान में न तो आवेदक अभियुक्त पर जख्मी साक्षियों को मारने का विशिष्ट आरोप है और न ही घटनास्थल पर उपस्थित होने का और जान से मारने का आदेश देने की कोई सामग्री अभिलेख पर आयी है। ऐसी स्थिति में न्यायालय अभियुक्त को अग्रिम जमानत आवेदन का लाभ देना उचित समझती है। अतः, **आवेदक अभियुक्त नीरज यादव उर्फ नीरज कुमार** को मो0 10,000 / – (दस हजार रूपये) रूपया के दो (02) समान राशि के प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर आदेश की प्राप्ति के 20 दिनों के अंदर विद्वान न्यायालय के संतुष्टि पर निम्नलिखित शर्तों पर अग्रिम जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

1. **आवेदक अन्तर्गत धारा 482 (2) बी0 एन0 एस0 एस0 के तहत शपथपत्र दाखिल करेंगे।**
2. **आवेदक प्रत्येक तिथि को हाजिरी–पैरवी दाखिल करेंगे।**
3. **एक जमानतदार निकट संबंधी अथवा परिवार के सदस्य होंगे।**

कार्यालय आदेश की प्रति अविलंब संबंधित न्यायालय में भेंजे।

लेखापित

ह0 / –

(विकास मिश्र)

जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय

दिनांक 18.06.2026

प्रतिलिपि : श्रीमति अनामिका कुमारी, व्यवहार न्यायालय, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेश की प्रति तथा मूल अभिलेख वापस भेजा जाता है।

लेखापित

(विकास मिश्र)

जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय

व्यवहार न्यायालय, मुंगेर

दिनांक 18.06.2026